

स0अ0 एल0टी0 के पदों पर मृतक आश्रितों को अध्यापक पात्रता परीक्षा (UTET-II) की परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश-

1. शासनादेश संख्या 362/XXIV-2/2013-27(03) 2013 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 21 जून, 2013 के क्रम में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/10365-82/मृ0आ0-टी0ई0टी0/2013-14 दि0 22 जून, 2013 के अनुपालन में स0अ0 एल0टी0 के पदों पर नियुक्ति हेतु केवल अर्ह मृतक आश्रितों द्वारा ही आवेदन किया जाय।
2. आवेदन हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यताएं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुसार मान्य होगी। अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
3. सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क रु0 600.00, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु0 300.00 तथा विकलांग अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु0 200.00 होगा।
4. शुल्क का ड्राफ्ट सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) के पद नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा देय होगा।
5. ओ0एम0आर0 आवेदनपत्र एवं परम्परागत आवेदन पत्र परिषद् कार्यालय की वेबसाइट [www.ubse.uk.gov.in](http://www.ubse.uk.gov.in) पर डाउन लोड करके पूरित आवेदन पत्र वांछित प्रमाण पत्रों एवं शुल्क के बैंक ड्राफ्ट सहित सम्बन्धित मुख्य शिक्षाअधिकारी कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि 01.07.2013 होगी।
6. परिषद् कार्यालय से इन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र वितरण की कार्यवाही 04.07.2013 को की जायेगी।

*dmw 25/6/2013*  
(डा0 दयाकृष्ण मथेला)

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्  
रामनगर नैनीताल।